<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>(1) प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1041/2004/बीकानेर</u>

1. धोकलसिंह पुत्र सवाईसिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
   - 1/1. मोहनसिंह पुत्र धोकलसिंह
   - 1/2. महावीर सिंह पुत्र धोकलसिंह
   - 1/3. भंवरकंवर पुत्री धोकलसिंह
   - 1/4. रतनकंवर पुत्री धोकलसिंह
   - 1/5. किरणकंवर पुत्री धोकलसिंह
   - 1/6. सीमा कंवर पुत्री धोकलसिंह
   - 1/7. रामीकंवर पुत्री धोकलसिंह
   - 1/8. करणसिंह पुत्र धोकल सिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
     - 1/8/1. दुर्गाकवर पत्नि करणसिंह
     - 1/8/2. मोडसिंह पुत्र करणसिंह
     - 1/8/3. उषाकंवर पुत्री करणसिंह
     - 1/8/4. रतनसिंह पुत्र करणसिंह
     - 1/8/5. पूजांकवर पुत्री करणसिंह
   - 1/9/6. महेन्द्र सिंह पुत्र धोकलसिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
     - 1/9/6/1. अमरूकंवर पुत्री महेन्द्र सिंह
     - 1/9/6/2. अजीतसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
     - 1/9/6/3. पवनसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
2. सुलतान सिंह पुत्र सवाई सिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
   - 2/1. लिछमाकंवर पत्नि सुलतानसिंह
   - 2/2. खुमानसिंह पुत्र सुलतानसिंह
   - 2/3. मनोहरसिंह पुत्र सुलतानसिंह
   - 2/4. इन्द्राकंवर पुत्री सुलतानसिंह
   - 2/5. इचरजकंवर पुत्री संलतानसिंह
   - 2/6. अनिता कंवर पुत्री सुलतानसिंह
   - 2/7. मंजू कंवर पुत्री संलतानसिंह
   - 2/8. चुका कंवर पुत्री सुलतानसिंह

–समस्त जाति राजपूत निवासीगण मौजा मैयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर

3. श्रीमती प्रेमकंवर पुत्री रूपकंवर पत्नि सवाईसिंह जाति राजपूत मौजा मैयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर

4. श्रीमती संज्जनकंवर पुत्री रूपकंवर पत्नि मंगेजसिंह जाति राजपूत निवासी लोहरडा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं

5. श्रीमती धापूकंवर पुत्री रूपकंवर पत्नि तेजपालसिंह जाति राजपूत मौजा मैयासर हाल चक 3 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

....<u>अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण</u>

<u>बनाम</u>

1. हीरालाल

2. मदनगोपाल

–पुत्रगण हुक्माराम जाति जाट निवासीगण मौजा सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

3. जीवनसिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी मौजा मैयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर

4. श्रीमती राजूकंवर पुत्री रूपकंवर पत्नि दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी मौजा मैयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर

5. राजस्थान सरकार।

....उत्तरदातागण/वादीगण

(2) प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1042/2007/करौली

1. धोकलसिंह पुत्र सवाईसिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**

1/1. मोहनसिंह पुत्र धोकलसिंह

1/2. महावीर सिंह पुत्र धोकलसिंह

1/3. भंवरकंवर पुत्री धोकलसिंह

1/4. रतनकंवर पुत्री धोकलसिंह

1/5. किरणकंवर पुत्री धोकलसिंह

1/6. सीमा कंवर पुत्री धोकलसिंह

1/7. रामीकंवर पुत्री धोकलसिंह

1/8. करणसिंह पुत्र धोकल सिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**

1/8/1. दुर्गाकवर पत्नि करणसिंह

1/8/2. मोडसिंह पुत्र करणसिंह

1/8/3. उषाकंवर पुत्री करणसिंह

1/8/4. रतनसिंह पुत्र करणसिंह

1/8/5. पूजांकवर पुत्री करणसिंह

1/9/6. महेन्द्र सिंह पुत्र धोकलसिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**

1/9/6/1. अमरूकंवर पुत्री महेन्द्र सिंह

1/9/6/2. अजीतसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह

1/9/6/3. पवनसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह

2. सुलतान सिंह पुत्र सवाई सिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**

2/1. लिछमाकंवर पत्नि सुलतानसिंह

2/2. ख्रमानसिंह पुत्र सुलतानसिंह

2/3. मनोहरसिंह पुत्र सुलतानसिंह

2/4. इन्द्राकंवर पुत्री सुलतानसिंह

2/5. इचरजकंवर पुत्री संलतानसिंह

2/6. अनिता कंवर पुत्री सुलतानसिंह

2/7. मंजू कंवर पुत्री संलतानसिंह

2/8. चुका कंवर पुत्री सुलतानसिंह

–समस्त जाति राजपूत निवासीगण मौजा मैयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर

3. श्रीमती प्रेमकंवर पुत्री रूपकंवर पत्नि सवाईसिंह जाति राजपूत मौजा मैयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर

4. श्रीमती संज्जनकंवर पुत्री रूपकंवर पत्नि मंगेजसिंह जाति राजपूत निवासी लोहरडा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं

5. श्रीमती धापूकंवर पुत्री रूपकंवर पत्नि तेजपालसिंह जाति राजपूत मौजा मैयासर हाल चक 3 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

....अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी सामेलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. जीवनसिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी मौजा मैयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर
3. श्रीमती राजूकंवर पुत्री रूपकंवर पत्नि दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी मौजा मैयासर तहसील नोखा जिला बीकानेर
4. राजस्थान सरकार।

....रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण।
श्री दूनीचंद, अधिवक्ता, उत्तरदातागण।

निर्णय

दिनांकः– 20–12–2019

यह दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा क्रमशः अपील सं. 03/2003 व 04/2003 में पारित एक ही निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. उक्त दोनों अपीलों में विधि का एक ही प्रश्न निहित होने के कारण तथा पक्षकारान समान होने से एवं एक ही आक्षेपित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत किए जाने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही

निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जाए।

3. उक्त अपील के विचारण के दौरान रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी मय संलग्न दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत पेश किए। हमने प्रार्थना पत्र के संलग्नक दस्तावेज का विश्लेषण किया है तथा हम पाते है कि आलोच्य दस्तावेज प्रकरण के निस्तारण में सहायक सिद्ध होंगे। तदनुसार आलोच्य प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिए जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

4. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण बीकानेर के समक्ष वादी क्रमशः हीरालाल एवं मदनगोपाल व रामेश्वर लाल ने पृथक–पृथक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व तकसीम खाता वाद पत्र की चरण संख्या 2 में उल्लेखित प्रश्नगत रकबे के बाबत अपीलार्थीगण/वादीगण के विरूद्ध पेश किया। जिसे विचारण न्यायालय ने क्रमशः वाद संख्या 100/2002 बउनवान हीरालाल एवं अन्य बनाम धोकलसिंह व अन्य व वाद संख्या 101/2002 बउनवान रामेश्वरलाल बनाम धोकलसिंह एवं अन्य संस्थित किए गए। वाद संख्या 100/2002 के प्रतिवादी संख्या 3 जीवनसिंह ने अपना इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीगण के वाद को डिक्री किए जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार इसी वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना पृथक जवाबदावा पेश कर वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। इसी के साथ वाद संख्या 101/2002 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाबदावा पेश कर वादीगण के वाद को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 3 जीवनसिंह ने अपना पृथक से जवाबदावा पेश कर वादीगण के वाद को डिक्री किए जाने का निवदेन किया। उक्त दोनों दावों में विचारण न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड, गवाहान के बयानात तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 18–07–2002 द्वारा वाद चलने योग्य नहीं निर्धारित करते हुए खारिज कर दिये। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हीरालाल व मदनगोपाल ने प्रथम अपीलीय न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश की, जो कि अपील संख्या 3/2003 बउनवान हीरालाल वगैरहा बनाम धोकलसिंह संस्थित की गई। इसी प्रकार रामेश्वरलाल द्वारा भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई, जो कि अपील 4/2003 बउनवान रामेश्वरलाल बनाम धोकलसिंह संस्थित की गई। उक्त दोनों अपीलों को एकजाई करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए निर्णय दिनांक 31–01–2004 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में विवेचित किया कि तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तथा यह भी निष्कर्ष अंकित किया कि अपीलान्ट्स के पक्ष में किए पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर वादीगण/अपीलान्ट्स के दोनों वाद स्वीकार किए जाते है और आदेश दिए जाते है कि वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन किया जावे और प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्स जो कि वादीगण/अपीलान्ट्स को उसके हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने से नहीं रोंके और न ही बेदखल करें। राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित एक ही आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2004 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण ने हस्तगत दोनों अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बहस में कथन किया कि वादीगण का वाद बंटवारे व स्थाई निषेधाज्ञा का ही था तथा वादीगण रेकार्ड में सहखातेदार दर्ज नहीं होने के कारण उनका वाद चलने योग्य नहीं था। अतः बिना घोषणा कराये वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं था। उनका आगें कहना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय बिना तनकीवार विवेचन पारित किया है तथा जीवनसिंह उसकी भुवा के गोद नहीं गया था तथा गोदनामा का निर्णय करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त नहीं है, जो रस्मी हो सकती है। यहीं नहीं मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय केवल मात्र

कानूनी बिन्दु पर नियत था न कि गुणागुवण के आधार पर निर्णित किया गया। उनका यह भी कहना है कि यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलीय न्यायालय कानूनी बिन्दु पर सहमत नहीं थे तो उन्हें प्रकरण को विचारण न्ययाालय को तनकीयात व गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत प्रतिप्रेषित कर देना चाहिए था। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबा स्वर्गीय सवाईसिंह की भूमि थी, जिनके देहान्त के बाद सभी वारिसान का समान हिस्सा होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का ज्यादा से ज्यादा 1/7-1/7 हिस्सा ही निर्धारण योग्य था। इस तथ्य की विवेचना के बिना पारित किया गया आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। उनका आगे तर्क है कि संयुक्त खाते की आराजी को सहकाश्तकार अपना हिस्से का बेचान कर सकता है लेकिन वह स्पेस्फिक हिस्से का बेचान नहीं कर सकता है। प्रस्तुत मामले में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने स्पेस्फिक हिस्से का बेचान किया है, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समझौता पत्र दिनांक 12-07-1992 को आधारित करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित कर भूल की है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार बंटवारानामा पंजीकृत होने पर ही शहादत में पढा जा सकता है, जबकि आलोच्य प्रकरण में समझौता पत्र पंजीकृत एवं पूर्ण मुद्रांकित नहीं होते हुए भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार मानकर भूल की है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-01-2004 को अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-07-2002 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

7. विद्वान अधिवक्ता उत्तरदातागण/वादीगण ने अपनी बहस में कहा कि प्रतिवादी जीवनसिंह का नाम जमाबंदी में दर्ज है। यह कहना गलत है कि उसका आराजी पर कब्जाकाश्त नहीं है। यह भी गलत है कि जीवनसिंह अपनी भुआ के खोले चला गया था। जमाबंदी सम्वत 2010 में जीवनसिंह का नाम दर्ज है। आगे बताया कि खोला हो जाने के बाद

पिता का नाम बदल जाता है परन्तु ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि जीवन सिंह सवाईसिंह का पुत्र नहीं हो या खोलायत पिता से उसे कुछ प्राप्त हुआ हो। राशनकार्ड में उसके पिता का नाम सवाईसिंह ही है जबकि कथाकथित खोला में पिता का नाम हीरसिंह बताया गया है। जमाबंदी में नाम नहीं आने को आधार मानकर विचारण न्यायालय ने भूल की है। हमने अभिलेख में दर्ज से क्रय की है उसका एतराज नहीं है। हम अभिलेख में नयी घोषणा से नहीं आ रहे है, विक्रेता सहमत है और उसका नाम रेकार्ड में है तथा उसे मूल्यवान प्रतिफल देकर क्रय की है। क्रय शेयर की सीमा में है। आगे बताया कि जब तक खोलानामा पंजीकृत नहीं हो तब तक उसे अन्यथा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि आराजी बाबत निष्पादित विक्रय विलेख जब तक खारिज नहीं हो जाता तब तक वादीगण का ही आराजी पर हक व अधिकार माना जावेगा। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के तहत पारित किए जाने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। सारांशतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह दोनों अपीलें सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है। अन्त में उन्होंने हस्तगत दोनों अपीलों को खारिज कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व उपलब्ध रेकार्ड का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण व अध्ययन किया है।

9. हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि प्रतिवादी जीवनसिंह खोलायत पुत्र होने से क्या संयुक्त खाते की भूमि से उसके अधिकार समाप्त होते है अथवा नहीं? तथा जीवनसिंह खोलायत पुत्र है अथवा नहीं।

रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादी जीवनसिंह व श्रीमती राजूकंवर प्रतिवादी ने अपने-अपने हिस्से की भूमि 8-75 हैक्टर को जरिये पंजीकृत विक्रय

विलेख दिनांक 15-04-1996 को वादी को विक्रय कर कब्जा मौके पर सुपुर्द कर दिया गया। उपलब्ध दस्तावेजात राशनकार्ड में जीवनसिंह के पिता नाम सवाईसिंह दर्ज है, इसी प्रकार निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में जीवनसिंह के पिता का नाम सवाईसिंह दर्ज है। यहीं नहीं राजकीय सेवा के प्रपत्रों पर भी उसके पिता का नाम सवाईसिंह दर्ज है। इसके अतिरिक्त स्कूल प्रमाण पत्र में भी इसी प्रकार का अंकन किया हुआ है। उक्त सभी दस्तावेजात राजकीय अभिलेख होने के कारण इनकी सत्यता पर संदेह किया जाना उचित नहीं है, जैसा कि इन दस्तावेजों के अनुसार जीवनसिंह वास्तव में अपनी भुआ के खोले गया ही नहीं है क्योंकि विपक्षी द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की सशक्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। अतः जीवनसिंह के खोले जाने का तथ्य निराधार होना प्रकट होता है। इस कारण मामले में विचारण न्यायालय का यह अभिमत कि वादीगण के नाम का जमाबंदी में अंकन नहीं है, मानने योग्य नहीं है। विधिक प्रावधानों के अनुसार सुसंगत दस्तावेजात में जो अंकन किया गया है उसे अन्यथा नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार जवाबदावे के अनुसार धोकलसिंह ने राजकंवर का हिस्सा माना है। कथित खोलापत्र अपंजीकृत, असाबित दस्तावेजात है जिसे कानून में कोई मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि अपंजीकृत दस्तावेजात को साक्ष्य में नियमानुसार ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। चूँकि मामले में वादीगण द्वारा कथित रकबे को अभिलेख में दर्ज रेकार्डेड खातेदार से शेयर की सीमा तक जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय किए जाने के कारण आराजी में वादीगण का हक व अधिकार होना माना जावेगा तथा जब तक ऐसे पंजीकृत विक्रय विलेख को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चुनौती देकर अपास्त करा नहीं दिया जावे तब तक ऐसे विक्रय विलेख को अन्यथा त्रुटिपूर्ण सिद्ध नहीं किया जा सकता है। विक्रेता ने विक्रय का जवाबदावा द्वारा स्वीकारोक्ति की है।

10. वर्तमान में प्रचलित सिद्धान्तों के अनुसार सहखातेदार कभी भी अपने हिस्से का नियमानुसार बेचान कर सकता है तथा अपने हिस्से की भूमि बाबत विक्रय करने के लिए अन्य सहखातेदार से ऐसी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हमारे द्वारा विधि की भावना के अनुसार

हस्तगत प्रकरण का सम्यक विश्लेषण के उपरान्त हम पाते है कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 18-07-2002 उपलब्ध रेकार्ड तथा विधि की भावना के विपरीत पारित किए जाने के कारण ऐसे निर्णय का हम समर्थन नहीं कर सकते। तदनुसार उपखण्ड अधिकारी दक्षिण बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-07-2002 त्रुटिपूर्ण होना निर्धारित किया जाता है।

11. उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष उपलब्ध समस्त रेकार्ड का विधिनुसार परीक्षण करते हुए उभयपक्ष की बहस के आधार पर आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण की अपील को स्वीकार करने में किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना प्रदर्शित नहीं होता है। अतः हमारी विनम्र राय में आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन होना प्रदर्शित होती है। सारांशतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन पाई जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। तदनुसार हस्तगत द्वितीय अपील को खारिज किया जाना विधि सम्मत है।

12. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह दोनों द्वितीय अपीलें सारहीन/बलहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 31-01-2004 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य